संचालनालय पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय
रायपुर–छत्तीसगढ़

दूरभाष : 0771–2537404, टेलीफैक्स 0771–2234731
ई–मेल : deptt_culture@yahoo.co.in वेब साइट : www.cgculture.in

कमांक..1000../अनु./स.पु./ 2025 रायपुर, दिनांक 20/07/2025
निविदा क्रमांक–02/2025–26

मैनुअल पद्धति निविदा सूचना

एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित निर्माण कार्य हेतु मैनुअल निविदा आमंत्रित की जाती है:–

क्र.	कार्य का नाम	ठेके की अनुमानिक राशि	बयाने की राशि	ठेकेदार की श्रेणी	कार्यावधि	निविदा प्रपत्र की राशि
1.	राज्य संरक्षित स्मारक प्राचीन ईंटो के टीले मंदिर गढ़धनौरा जिला–कोण्डागांव के मंदिर स्मारक कमांक 8,9,10 में अनुरक्षण कार्य।	9,43,841.00	19,000.00	उपयुक्त श्रेणी	कार्यादेश से तीन माह	750.00
2.	राज्य संरक्षित स्मारक बत्तीसा मंदिर बारसूर जिला–दंतेवाड़ा में मंदिर का पुरातत्वीय विधि से पोईटींग, वाटरप्रुफिंग,फ्लोर रिपेयरिंग, बाउण्ड्रीवाल का उंचाई बढ़ाने तथा ग्रील लगाने दर्शकों के बैठने हेतु विजिटर चेयर तथा अन्य आवश्यक रिपेयरिंग कार्य।	9,69,944.00	19,500.00	उपयुक्त श्रेणी	कार्यादेश से तीन माह	750.00

01. निविदा प्रपत्र विक्रय की अंतिम तिथि 11.08.2025 शाम 5:00 बजे तक।

02. मुहर बंद निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि 20.08.2025.शाम 5:00 बजे तक।

03. निविदा खोलने की तिथि एवं समय दिनांक 22.08.2025 दोपहर 12.00 बजे।

- उपरोक्त दोनो निविदाओं के लिए ठेकेदार/फर्म को भारतीय पुराततव सर्वेक्षण अथवा राज्य पुरात्तव विभाग में अनुरक्षण कार्य के लिए न्युनतम 03 वर्षो का अनुरक्षण कार्य का अनुभव होना आवश्यक है, निविदा फार्म कय करने हेतु अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा प्रपत्र जारी नही किया जावेगा।
- निविदा के सामान्य शर्ते विस्तृत निविदा विज्ञप्ति एवं निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी कार्यालयीन अवधि में कार्यालय में उपस्थित होकर या विभागीय वेबसाईट www.cgculture.in पर निविदा जारी दिनांक से देखी जा सकती है।

संचालक
पुरातत्व अभि.एवं संग्रहालय
रायपुर(छ.ग.)

संचालनालय पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय
रायपुर–छत्तीसगढ़

दूरभाष : 0771–2537404, टेलीफैक्स 0771–2234731
ई–मेल : deptt_culture@yahoo.co.in वेब साइट : www.cgculture.in

क्रमांक....1000/अनु./स.पु./ 2025
निविदा क्रमांक–02/2025–26

रायपुर, दिनांक 30/07/2025

निविदा की शर्तें
मैनुअल पद्धति निविदा सूचना

---::---

निम्नलिखित कार्य के लिये छ.ग. लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित निविदा प्रपत्र 'अ' पर मुहरबंद निविदायें PWD SOR एक जनवरी 2015 की दरों पर प्रतिशत आधार पर छ.ग. लोक निर्माण विभाग में उपयुक्त श्रेणी के पंजीकृत ठेकेदारों से लिफाफा पद्धति के अनुरूप मुहरबंद निविदायें पंजीकृत डाक (ए.डी.) तथा स्पीड पोस्ट सर्विस द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में निविदा आमंत्रित की जाती है।

मुहरबंद निविदाये समिति के सदस्य एवं उपस्थित निविदाकर्ताओं/अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोली जावेगी। निविदा प्रपत्र प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र के साथ ठेकेदारी पंजीयन, आयकर विभाग द्वारा जारी पेन कार्ड, वाणिज्यकर कार्यालय का पंजीयन एवं चुकता प्रमाण पत्र, बैंक साल्वेंसी, इंजीनियर नियोजन पूर्व में किये गये कार्यों का अनुभव प्रमाण पत्र की छायाप्रतियां अनिवार्यतः प्रस्तुत करें एवं मूल प्रमाण पत्रों से मिलान करावे अन्यथा निविदा प्रपत्र जारी नहीं की जावेगी। निविदा प्रपत्र कार्यालय से कार्यालयीन समय में निर्धारित शुल्क जो [illegible]

02. मुहर बंद निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि 20.08.2025.शाम 5.00 बजे तक।

03. निविदा खोलने की तिथि एवं समय दिनांक 22.08.2025 दोपहर 12.00 बजे।

क्र.	कार्य का नाम	ठेके की अनुमानिक राशि	बयाने की राशि	ठेकेदार की श्रेणी	कार्यावधि	निविदा प्रपत्र की राशि
1.	राज्य संरक्षित स्मारक प्राचीन ईंटो के टीले मंदिर गढ़धनौरा जिला–कोण्डागांव के मंदिर स्मारक क्रमांक 8,9,10 में अनुरक्षण कार्य।	9,43,841.00	19,000.00	उपयुक्त श्रेणी	कार्यादेश से तीन माह	750.00
2.	राज्य संरक्षित स्मारक बत्तीसा मंदिर बारसूर जिला–दंतेवाडा में मंदिर का पुरातत्वीय विधि से पोईटींग, वाटरप्रुफिंग,फ्लोर रिपेयरिंग, बाउण्ड्रीवाल का उंचाई बढ़ाने तथा ग्रील लगाने दर्शकों के बैठने हेतु विजिटर चेयर तथा अन्य आवश्यक ,रिपेयरिंग कार्य।	9,69,944.00	19,500.00	उपयुक्त श्रेणी	कार्यादेश से तीन माह	750.00

निविदा की शर्तें :–

04. अमानत राशि राशि एफ.डी.आर/बैंक ड्राफ्ट जो कि संचालक, पुरातत्व अभिलेखागर एवं संग्रहालय, महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय परिसर सिविल लाईन रायपुर छ.ग. के नाम से देय हो तथा कम से कम तीन वर्ष की अवधि का हो जिसे निविदा के साथ अलग लिफाफे में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। बयाने की राशि के अभाव में निविदा बिना खोले वापस कर दी जायेगी।

05. किसी भी निविदा को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा एव त्रुटियुक्त, ओव्हर रायटिंग, अपूर्ण हस्ताक्षरित तथा सशर्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

06. मुहरबंद निविदाओ के प्रत्येक लिफाफे पर कार्य का नाम अंकित किया जाना आवश्यक है।

07. ऐसे ठेकेदार जो एकीकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत उपयुक्त श्रेणी में लोक निर्माण विभाग में पंजीकृत है।

08. निविदा दो अलग–अलग लिफाफा पद्धति में प्रस्तुत किया जावेगा। प्रथम लिफाफा में अमानत राशि के साथ सत्य निष्ठा शपथ पत्र तथा द्वितीय लिफाफा में वित्तीय प्रस्ताव। उक्त दोनो लिफाफों को एक बडे लिफाफे में भरकर मुहरबंद करके करके भारतीय पोस्टल सर्विस के पंजीकृत डाक(ए.डी) या स्पीड पोस्ट सर्विस के माध्यम से प्रेषित करना होगा। प्रथम लिफाफा में अमानत राशि प्राप्त नही होने की दशा में वित्तीय प्रस्ताव नही खोला जावेगा। अन्य कोई भी माध्यम से प्रेषित मान्य नही होगा।

9. विस्तृत निविदा विवरण की विशेष शर्ते की कंडिका क्र.–8(1) के अनुसार प्रस्तुत निविदा असंतुलित होने पर निविदा राशि का पांच प्रतिशत अतिरिक्त अमानत राशि एफ.डी.आर. के रूप में अनुबंध के पूर्व जमा करना होगा।

10.उपरोक्त दोनो निविदाओ के लिए ठेकेदार/फर्म को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अथवा राज्य पुरात्तव विभाग में अनुरक्षण कार्य के लिए न्युनतम 03 वर्षो का अनुरक्षण कार्य का अनुभव होना आवश्यक है, निविदा फार्म कय करने हेतु अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा प्रपत्र जारी नही किया जावेगा।

11. विशेष शर्त की कंडिका रू. 50.00 के गैर न्यायिक स्टाम्प हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी को वित्तीय प्रस्ताव खोलने हेतु निर्धारित तिथि के पूर्व अमानत राशि के लिफाफे में रखकर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

12. ठेकेदार द्वारा नियोजित श्रमिकों की उपस्थिति पंजी संधारित की जावेगी तथा प्रत्येक नियोजित श्रमिक को उसके बैंक एकाउण्ट में सीधे मजदुरी भुगतान शासन के प्रचलित नियमानुसार करना होगा तथा देयक भुगतान के समय कोई लेबर भुगतान शेष नही है का प्रमाण पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

13.ठेकेदार को नियोजित श्रमिकों की उपस्थिति पंजी/मस्टररोल, वेतन भुगतान पंजी, नियोजन पंजी का संधारण अनिवार्य हैं। इसके अतिरिक्त श्रमिकों को न्यूनतम वेतन के साथ–साथ अन्य लाभ जैसे–ओव्हर टाइम भत्ता, बोनस, ग्रेच्युटी, मातृत्व हितलाभ, अवकाश, ई.इस.आई. भविष्य निधि तथा स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी लाभ शासन के प्रचलित नियमानुसार देना होगा।

14.कार्यादेश प्राप्त फर्म/ठेकेदार को देयक भुगतान के समय देयक की राशि का 5% सुरक्षा राशि एफ.डी.आर.के रूप में जो कि संचालक पुरातत्व अभिलेखगार एवं संग्रहालय रायपुर के नाम से जो तीन वर्ष की अवधि का हो जमा करना होगा। कार्य के उपरांत ठेकेदार को तीन वर्ष तक स्वयं के व्यय से त्रुटि सुधार/रखरखाव करना होगा एवं तीन वर्ष पूर्ण होने के उपरांत संबंधित अधिकारी/अभियंता के द्वारा कार्य सत्यापन उपरांत एफ.डी.आर.विमुक्त की जावेगी।

15. परिशिष्ट 2.10 के एनेक्सर जी (स्पेशल कंडीशन ऑफ एन.आई.टी.) की कंडिका 4 (1से 5) के अनुसार कार्य पूर्ण होने के पश्चात 3 वर्ष तक कार्य का संधारण ठेकेदार को करना होगा, जिसके लिए कोई राशि अलग से देय नहीं होगा तथा कार्य नही करने पर जमा सुरक्षा राशि राजसात एवं इस विभाग में कार्य करने के लिए आयोग्य घोषित किया जावेगा जिसके लिए संबधित ठेकेदार/फर्म स्वयं जिम्मेदार होगें।

16. विशेष शर्त की कंडिका 4 के अनुसार परफार्मेस गारंटी के रूप में प्रत्येक देयक से 5% प्रतिशत अतिरिक्त सुरक्षा निधि काटी जाएगी जिसे कार्य पूर्ण होने पर 36 माह की बैंक गांरटी में बदला जा सकता है। ठेकेदार चाहे तो अनुबंध के पूर्व अनुबंध राशि की 5 प्रतिशत अतिरिक्त बैंक गारंटी जमा कर सकता है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक देयक से अतिरिक्त 5 प्रतिशत की राशि की कटौती नहीं की जावेगी। अमानत राशि कार्य पूर्ण होने के उपरांत तीन वर्ष के पश्चात ही वापस की जावेगी। निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण नही करने पर कार्यालय में जमा अमानत राशि राजसात की कार्यवाही की जा सकेगी।

17. निविदा में भाग लेने वाले ठेकेदारो को वित्तीय क्षमता प्रमाण पत्र या इसकी सत्यापित प्रतिलिपि जो कि किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से प्रमाणित हो, जिसका मुख्य निविदा राशि का 15 प्रतिशत होना चाहिए जो आवेदन के दिनांक से 12 माह से अधिक समायावधि का ना हो प्रस्तुत कराना अनिवार्य है।

18. अमानत राशि के साथ सत्यनिष्ठा शपथ पत्र प्राप्त नहीं होने पर ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत लिफाफा निविदा प्रकिया में शामिल नहीं किया जावेगा।

19. किसी प्रकार का वाद–विवाद उत्पन्न होने पर न्यायालय क्षेत्र रायपुर होगा तथा विवाद की स्थिति में संचालक पुरातत्व अभिलेखगार एवं संग्रहालय रायपुर का निर्णय दोनो पक्षों को अनिवार्य रूप से मान्य होगा।

20. उपरोक्त सामान्य शर्त तथा निविदा प्रपत्र में दी गई शर्तों के साथ अनुबंध का भाग रहेगा जो ठेकेदार/फर्म को मान्य करना होगा।

संचालक
पुरातत्व अभि.एवं संग्रहालय
रायपुर(छ.ग.)

:: भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 ए के अनुसार प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह हमारी मिली–जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत के महत्व को पहचाने और उसे संरक्षण प्रदान करें। ::